

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एसोसिएशन का ज्ञापन) नियम और विनियम MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND **RULES AND REGULATIONS**

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)

DATTOPANT THENGADI NATIONAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION & DEVELOPMENT

(An Autonomous Organisation under Ministry of Labour & Employment, Government of India)



मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एसोसिएशन का ज्ञापन) एवं नियम और विनियम MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND RULES AND REGULATIONS

जनवरी / January 2024

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE DATTOPANT THENGADI NATIONAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION AND DEVELOPMENT

(Registered under the Societies Registration Act XXI of 1860)

- 1. The name of the Society is the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development.
- 2. The registered office of the Society shall be situated at the National Capital Territory of Delhi and is currently at 2nd Floor, Employment Exchange Building, Pusa Complex, Pusa Road, Near Industrial Training Institute (ITI), New Delhi-110012. The area of operation of the Society shall extend to the whole of India.
- 3. The Aims and Objectives for establishment of Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development are as under, namely: -
 - (a) To stimulate and promote education and development programs for workers of organised and unorganised sectors;
 - (b) To implement the recommendations contained in the Report on Workers Education (copy attached), as endorsed at the 15th Session of Indian Labour Conference at its meeting held on 11th and 12th July, 1957;
 - (c) To organise informative and educational programmes in educational institutions, including universities, schools, vocational education or training institutions, distance learning universities and like other institutions), inter alia, on the following topics, namely: -
 - (i) Social dialogue and solidarity economy;
 - (ii) Union-management relations and knowledge of the industry; capacity building of management for productivity enhancement, improvement in worker-management relation;
 - (iii) Capacity Building and Training of Trainers Programmes for Federations, Trade Union leaders and workers or Employees or both of Industries, establishments and offices; both organized and unorganized sectors;
 - (iv) Consultancy, research and monitoring;
 - (v) Code of Discipline as ratified in the Sixteenth Session of the Indian Labour Conference held at Nainital on 19th and 20th of May, 1958;
 - (vi) Holistic individual development of workers;
 - (d) To provide for Training of Trainers and programme administration for full and part-time assignment;
 - (e) Publishing and Distribution of Curriculum and Resource Development materials, in regional languages.

- (f) To take up individually or collaborate with such initiatives of Governmental or Non-Governmental Bodies or Institutions that are meant to: -
- facilitate access to information and resources related to social security, to offer guidance, and support services to workers seeking assistance and in accessing Government schemes, social security benefits, schemes-based advocacy and registration programs or camps;
- (ii) enhance employability; chance of getting wage or self- employment and; income or income generating opportunities of any individual or a group of people.
- (iii) leverage modern technologies and innovative strategies to empower the workers by providing them access to information, education and opportunities.
- (iv) Create and manage digital platform and mobile applications aimed at enhancing the employability and livelihood prospects of unorganized and migrant workers.
- (v) Promote financial inclusion by partnering with financial institutions and providing access to mobile banking services, microcredit facilities and savings initiatives.
- (vi) Facilitate peer-to-peer support groups where experienced workers guide and mentor those with less knowledge, encourage sharing of practical and life experiences;
- g) To purchase, take on lease or otherwise acquire any land, building, or other such property, movable or immovable wherever situated in India, which may be necessary for carrying on the functions of the Society;
- h) To invest funds or moneys entrusted to the Society in such a manner as may, from time to time, be determined by the Central Government;
- i) To draw, accept, make, endorse, discount and deposit Government of India and other promissory notes, bills of exchange, cheques, or other negotiable instruments for the purpose of the society;
- j) To make rules and regulations for the conduct to meetings and affairs of the Society and to adopt and vary them from time to time;
- k) To regulate the expenditure and manage the accounts of Society:
- To sale, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the Society, movable or immovable, on such terms, as may be determined by the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment;
- m) To raise and borrow money on bonds, mortgages, promissory notes or other obligations, or securities founded or based upon all or any of the

properties and assets of the Society or without any securities, upon such terms and conditions as may be determined by the Government of India, and to pay, out of the funds of the Society, all expenses of and incidental to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed;

- To make such rules and byelaws as it may, from time to time, consider to be necessary for regulating the management of the affairs of the Society; and
- o) To do all other acts and things as the Society may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of the aforesaid objects or any one of them.
- 4. If on winding up or dissolution of the Society, there shall remain, after the settlement of all its debts and liabilities, any property whatsoever, the same shall not be paid or distributed among the members of the Society or any of them but shall be dealt with in such manner as the Central Government may determine.
- 5. The Central Government may appoint one or more persons to review the work and progress of the Society and to hold enquiries into the affairs thereof and to report thereon in such manner as the Central Government may stipulate. Upon receipt of any such report, the Central Government may issue such directions as they may consider necessary in respect of any of the matters dealt with in the report and these directions shall be binding upon the Society.
- 6. There shall be a Governing Body, under the rules of the Society to manage the affairs of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development. A copy of the Rules and Regulations of the Society certified to be a correct copy by three members of the Governing Body is filed with Registrar of Joint Stock Companies, Delhi, alongwith the Memorandum of Association.

We the several person, whose names and addresses subscribed hereto, are desirous of forming a Society under the Societies Registration Act XXI of 1860 in pursuance of this Memorandum of Association:-

Sr.	Name	Signature	Occupation	Address
No.				
1	Shri Virjesh Upadhyay	Sd.	Chairman	Dattopant Thengadi National
				Board for Workers Education &
				Development, New Delhi.
2	Shri Kamal Kishore Soan	Sd.	Joint Secretary	Ministry of Labour & Employment,
				Government of India, New Delhi.
3	Ms. G. Madhumita Das	Sd.	Joint Secretary/	Ministry of Labour & Employment,
			Financial Advisor	Government of India, New Delhi.
4	Colonel Neeraj Sharma	Sd.	Director General	Dattopant Thengadi National
				Board for Workers Education &
				Development, New Delhi.
5	Shri Mahendra Pratap Singh	Sd.	All India Vice	Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS),
			President	Kanpur.

6	Smt. Neeta Chobe	Sd.	All India	Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS),
			Secretary	Nagpur.
7	Shri Sukumar Damle	Sd.	National	All India Trade Union Congress
			Secretary	(AITUC), New Delhi.
8	Shri K. Somasekhar	Sd.	Vice-President	All India Committee, All India
				United Trade Union
				Centre(AIUTUC), Karnataka.
9	Shri Atul Sobti	Sd.	Director General	SCOPE, New Delhi.
10	Dr. Udaya Chandra Suvarna	Sd.	National	Federation of Association of
			President	Small Industries of India (FASII),
				Bangalore.
11	Dr. Promod Kumar	Sd.	President	Indian Council of Small Industries
	Singhania			(ICSI), Kolkata.
12	Shri Rajendra Prasad Singh	Sd.	Chairman	IR & HR Committee PHD
				Chamber of Commerce and
				Industry, New Delhi.
13	Shri V. G. Ramesh Kumar,	Sd.	Dy.	Office of Commissioner of
	Nominated in place of		Commissioner of	Labour, Chennai.
	Shri Atul Anand, IAS		Labour	
			(Headquarters)	
14	Shri Ghan Shyam Ojha	Sd.	All India General	Laghu Udyog Bharti, New Delhi.
	(Special Invitee)		Secretary	

Signatures of the signatories are hereby attested.

(sd.)

January 2024 Ministry of Labour and Employment, Government of India.

The Indian Labour Conference at its meeting held on 11th and 12th July, 1957, endorsed the following recommendations on Workers Education contained in the Report of the Team of Experts with some modifications.

Recommendation No. 1: A Central Board, having semi-autonomous authority, should be established comprising representatives from Trade Unions, employers, Government (including Ministries of Labour and Education) and Educational Institutions.

Its primary functions should be to-

A. Lay down policy

- B. Administer the programmes, allocate funds, inspect, co-ordinate, audit accounts, etc.:
- C. Arrange for the provision of educational materials:
- D. Establish standards for teachers and programmes
- E. Encourage the establishment of active educational developments within the national unions and federations; and
- F. Otherwise stimulate and promote the development of workers education.

Recommendation No. 2: At the instance of the Central Board or when a local demand is made, State and/or Regional Boards on the pattern of the Central Board should be set up as soon as practicable.

Within their respective areas, the functions of these Boards should be similar to those of the Central Board.

Recommendation No. 3: Local Workers Education Boards should be created in industrial centres by existing Boards.

The Local Board should encourage local workers education activities and administer approved programmes.

Recommendation No. 4: Any industrial worker, whether literate or illiterate, Trade Union member or not, and full time union officials and staff should be eligible for the services provided by the Boards.

Selection of candidates for the Workers Education programme should be made by the Local Boards.

Recommendation No. 5: Where Trade Unions exist, applications for workers education may be channelled through such Trade Unions. In the absence of Trade Unions, workers may apply direct to their respective Boards.

Recommendation No. 6: A series of programmes should be organised in existing educational institutions at local union level, community centres, places of employment, or at labour college and schools that may be established to provide instruction in:-

- A. Trade Union consciousness;
- B. The purposes, functions and administration of Trade Unions;
- C. The conduct of union-management relations and knowledge of the industry; and
- D. The development of a mature individual and his role as a citizen.

Recommendation No. 7: Instruction should be provided for the programmes as follows:

- A. Single session conference;
- B. Part-time classes;
- C. Full time courses from one week to three months or of a longer duration when required, and
- D. Such other methods as may be found desirable.

Full attention should be paid to the techniques of instruction such as informal discussions, role-playing, field work, seminars, lectures, films, correspondence courses, etc.

Recommendation No. 8: Provision should be made for training teachers and programme administrators for full and part-time assignments. While existing facilities should be used to their maximum, an initial project of teacher administrator instruction should be inaugurated forthwith.

Recommendation No. 9: Suitable materials in the necessary languages should be prepared consisting of -

- A. Pamphlets, books and charts;
- B. Teaching manuals and guides;
- C. Audio-visual aids.

Recommendation No. 10: Institutions and individuals interested in workers education should be encouraged to form a non-official Workers Education Association acting in co-operation with the adult education movement.

Recommendation No. 11: The Workers Education programme should be financed by

- A. Central and State Government grants;
- B. Contributions from Trade Unions;
- C. Assistance in kind from educational institutions, e.g. classrooms, libraries, teaching etc.;
- D. Support of employers through payment of release time wages for the duration of the training period; and
- E. Grants from funds consisting of unpaid wages, fines, canteen profits. etc.

In allocating the resources, due regard should be paid to the importance of initiating the programmes and providing services and materials in preference to sponsoring any ambitious programme involving capital expenditure on buildings.

Recommendation No. 12: Consideration should be given to those matters which might provide a more favourable climate to accomplish the goals of workers education by

- A. Instituting measures calculated to bring about a strong Trade Union movement;
- B. Providing courses in Labour Management relations in educational institutions:

- C. Meeting the great need for the Government to set the example as an ideal employer to the worker and/or Trade Unions engaged in the public sector;
- D. Encouraging a wage policy that provides for wage and/or incentive bonus adjustments as productivity rises; and
- E. Undertaking a study of legislation at the Central and State levels with the objective of strengthening and co-ordinating all legislation effecting the Trade Union Movement.

RULES AND REGULATIONS OF THE DATTOPANT THENGADI NATIONAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION AND DEVELOPMENT

- 1. **Definitions** In these rules, unless the context otherwise requires : -
 - (a) "Board" means the "Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development",
 - (b) "President" shall mean the President of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, nominated by the Central Government.
 - (c) "Governing Body" means the Body which according to rule 5, shall exercise the powers on behalf of the Board as may be delegated to it by the Board,
 - (d) "Chairperson" means Chairperson of the Governing Body of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, nominated by the Central Government. Chairperson of the Governing Body will be the ex-officio vice-President of Board. The terms of office and other conditions of the Chairperson shall be determined by the Central Government.
 - (e) "Director General" means Director General of Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development, appointed by the Government of India and shall include an Acting Director General. The Director General shall be the Secretary and Administrative Officer of the Board or Governing Body, as the case may be, and the terms of office and other conditions of service of the Director General shall be determined by the Central Government.
- 2. Registered office of the Board The Registered Office of the Board is situated at such place or places in National Capital Territory of Delhi as may, from time to time, be decided by the Governing Body, with the approval of Central Government.
- **3. Constitution of the Board -** The Board shall for the time being consist of the following members nominated by the Central Government, namely: -
 - (i) Minister of Labour and Employment President,
 - (ii) Secretary, Ministry of Labour and Employment: Ex-Officio Member and Vice President.
 - (iii) Chairperson of the Governing Body of the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development: Vice President;
 - (iv) The following Central Government Representatives: -

- (a) Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment : Ex-officio Member:
- (b) Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment: Ex-officio Member;
- (c) Joint Secretary or equivalent level officer looking after the work of Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development in the Ministry of Labour and Employment: Ex-officio Member;
- (d) Financial Adviser, Ministry of Labour and Employment: Ex-officio Member;
- (e) Joint Secretary or equivalent level officer, Department of Higher Education: Ex-officio member;
- (f) Joint Secretary or equivalent level officer, Ministry of Skill Development-Ex-officio member;
- (v) Six Representatives of the Organisation of Workers;
- (vi) Six Representatives of the Organisations of Employers;
- (vii) Two eminent educationists not below the rank of professor from the departments of Economics or Labour Studies or Education of the top 20 universities from National Institutional Ranking Frame work list;
- (viii) Six Representatives of the State Governments, who shall be nominated in rotation of two years term by Central Government.
- (ix) One Representative of Association working in the field of Workers Education or Adult Education, and
- (x) Director General, Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development- Member Secretary

4. Terms of Office:

- (i) The Members of the Board shall hold office for such period as is respectively fixed for them by the Central Government;
- (ii) Where a member of the Board becomes a member by reason of office or appointment he holds, his membership of the Board shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;
- (iii) A member of the Board shall cease to be a member if he dies, resigns, become insolvent or is convicted of a criminal offence or if he fails to attend two consecutive meetings of the society without taking leave of absence from the Chairperson;
- (iv) Any vacancy in the membership of the Board caused by any of the reasons mentioned above shall be filled by the Central Government;

- (v) Members of Parliament who are members of the Dattopant Thengadi National Board of Workers Education and Development (Erstwhile Central Board for Workers Education) or its Governing Body or its other committees or Local Committee shall not be entitled to any sum of money other than compensatory allowances as defined in clause (a) of Parliament (Prevention of Disqualifications Act, 1959).
- (vi) A member of the Board shall, notwithstanding the expiry of his term of office, continue to hold office until the nomination of his or her successor is notified;
- (vii) The Board shall have the power to appoint Committees or Sub-Committees and panels of experts to deal with specific issues or groups of issues for such purposes and with such powers as the Board may think proper;
- (viii) Members of the Board shall hold the office during the pleasure of the Central Government;
- (ix) Any matter having financial implications, service matter or requiring approval of the Central Government, shall be referred to a committee of the Board constituted for each purposes before consideration by the Governing Body of the Board;
- (x) The income and property as well as the management and control of the affairs of the Board shall be vested in the Governing Body of the Board which shall be called the Governing Body, Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development.
- **5. Governing Body of the Board -** There shall be a Governing Body of the Board consisting of the following members nominated by the Central Government, namely: -
 - (i) The Chairperson of the Governing Body shall be nominated by the Central Government;
 - (ii) Director General of Labour Welfare, Ministry of Labour and Employment Member:
 - (iii) Following representatives of Government of India, namely: -
 - (a) Joint Secretary or equivalent level officer in the Ministry of Labour and Employment looking after the work of Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development.
 - (b) Financial Adviser, Ministry of Labour and Employment;
 - (c) Joint Secretary or equivalent level officer in Ministry of Skill Development;
 - (d) Joint Secretary or equivalent level officer in Education Ministry;

- (iv) Four representatives elected from among the Board members representing the organisations of workers;
- (v) Four persons to be elected from among the Board members representing the organization of employers;
- (vi) Two representatives of the State Government among members of the Board, and
- (vii) Director General, Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development- Member Secretary
- **6. Membership to be unaltered -** The Board of society for the purpose of Act XXI of 1860 shall upto the...day of...consist of the persons who signed the Memorandum of Association of the Board and thereafter shall consist of the members of the Board as specified above.

7. Term of Office –

- (i) A member of the Governing Body shall, notwithstanding the expiry of the term, continue to hold office until the nomination of his successor is notified; Provided that a member of the Governing Body shall cease to hold office when he ceases to be a member of the Board.
- (ii) A member of the Governing Body shall hold office during the pleasure of the Central Government.
- (iii) A member of the Governing Body other than an ex-officio member shall cease to be such a member if he dies, resigns, or he fails to attend two consecutive meetings of the Governing Body without taking leave of absence from the Chairperson.

8. Filling up of Vacancy: -

Any vacancy in the Governing Body shall be filled by nominations by the Central Government from amongst the members of the Board. A member so nominated shall serve on the Governing Body for the remainder of his predecessor's term of office.

9. Functioning of the Board:-

The Board shall function notwithstanding any vacancy in its body and notwithstanding any defect in the nomination of any of its members, and no act or proceedings of the Board shall be invalidated merely by reason of the existence of vacancy or vacancies in the body or of any defect in the nomination or appointment of any of the members.

10. Powers of the Governing Body: -

(1) The Governing Body shall manage affairs of the Board as delegated by the Board and shall have the authority to exercise all the powers of the Board.

- (2) The Governing Body shall also exercise full powers with regard to administrative and financial matters subject to the following, namely -
 - (i) The overall budgetary limits on expenditure as sanctioned by Government of India are observed;
 - (ii) The matters connected with service conditions of the staff and creation or upgradation of post will be subject to the prior approval of the Government of India and also subject to the observance of the orders, economy orders and like other orders issued by the Government of India from time to time in this regard;
 - (iii) The Financial Adviser or his representative shall be present in the meeting;
 - (iv) A convention shall be observed that in cases where financial adviser disagrees, the matter would be referred to Government for decision;
 - (v) The Governing Body shall have power with the sanction of the Government of India, to make such byelaws as they may think proper for the preparation and sanction of budget estimates, the sanction of expenditure (enter into contracts), fixing user charges or program fee, the investment of the funds of the Board and the sale or alteration of such investment and any other purpose that may be necessary;
 - (vi) The Governing Body may, by resolution, appoint such committee for such purpose and with such powers as the Governing Body may think fit. The Governing Body may co-opt such persons to these sub-committees as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Board;
 - (vii) The Governing Body may, by resolution delegate to a sub-committee or the Chairman such of its powers for the conduct of its business as it may deem fit, subject to the condition that the action taken by any subcommittee or the Chairman under the powers delegated to them by this clause shall report for confirmation at the next meeting of the Governing Body.

11. Annual General Meeting: -

- (i) Annual General Meeting of the Board shall be held once a year preferably before the (15th of October) of each year at such time and place as may be determined by the President and not less than 14 day notice shall be given to the members for the meeting. At such General Meeting, the Governing Body shall submit the draft annual report and the yearly accounts of the Board for the preceding year's working and the budget for the coming year.
- (ii) The President or Chairperson shall have the power to convene further extraordinary general meetings in the like manner as stated in the

preceding sub-rule. The Notice of all such general meetings shall be served on members by post or electronically, not less than seven days before the date appointed for the said meetings.

- (iii) Five members of the Board present in any general meeting shall constitute the quorum.
- **12. Finance Sub-Committee -** There shall be a Finance Sub-Committee consisting of the following members, chaired by the Financial Adviser of the Government of India, Ministry of Labour and Employment, namely;
 - (i) Financial Adviser of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment;
 - (ii) Joint Secretary, Government of India, in the Ministry looking after the affairs of DTNBWED or his nominee not below the rank of Director/Deputy Secretary;
 - (iii) Chief Controller of Account, Government of India in the Ministry of Labour and Employment;
 - (iv) Director General, Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development Member Secretary.

13. Powers and Functions of the Finance Sub-Committee.

The powers and functions of the Finance Sub-Committee shall be as follows namely: -

- (i) to scrutinise the accounts and budget estimates of the Board and to make recommendations to the Governing Body;
- (ii) to consider and make recommendations to the Governing Body on proposals for new expenditure on account of major works and purchases which shall be referred to the Finance Committee for opinion before they are considered by the Governing Body;
- (iii) to scrutinise re-appropriation statements and audit notes and make recommendations thereon to the Governing Body;
- (iv) to review financial position of the Board from time to time;
- (v) to give advice and make recommendations to the Governing Body on any other financial questions affecting the affairs of the Board; and
- (vi)to review the internal control mechanism in the Board to ensure financial propriety at the field level.

14. Meetings of the Governing Body –

(i) The Governing Body shall meet at least four times in a year and not more than four months shall elapse between any two meetings of the Governing Body. These meetings shall be convened by the Chairperson who shall be the exofficio Chairman of the Governing Body and the notice for the same shall be issued under the hand of the Director General, Administrative Officer or any other officer of the Board as may be authorised by the Board in this behalf and the notice shall indicate the date, time and place of the meeting. The notice of the meeting shall be served on members either personally or post or electronically not less than seven days before the date of appointment for the meeting. A copy of the proceedings of each meeting shall be furnished to the Central Government in the Ministry of Labour and Employment and the members within 5 days after the meeting.

- (ii) Three members of the Governing Body present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Governing Body, but, if a meeting is adjourned for want of quorum, the subsequent adjourned meeting to discuss the same agenda shall not require to have the prescribed quorum.
- (iii) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (iv) Each member of the Governing Body including the Chairperson of the meeting shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Governing body, the Chairperson presiding the meeting shall in addition have a casting vote.
- (v) Every meeting of the Governing Body shall be presided over by the Chairperson; and in the absence of the Chairperson by a member nominated by the Chairperson shall preside over the meeting.
- (vi) Any business, which it may be necessary for the Governing Body to perform except such as may be placed before the Meetings, may be carried out by circulation among all its members and any resolution so circulated and approved by a majority of the members present in India and signed by them shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Governing Body provided that at least six members of the Board have recorded their views on the resolution.
- (vii) The Chairperson shall have the power to invite any other person to attend meetings of the Governing Body or the general meeting of the Board, but, any such invitee shall not be entitled to vote at the meeting.

15. Sub-Committee etc.-

The Governing Body shall have power to appoint sub-committee and panels of experts to deal with specific problems or groups of problems for such purposes and with such powers as the Board may think proper.A member of the Sub-Committee shall cease to be such a member if he dies, resigns, or if he fails to attend two consecutive meetings of the Sub-Committee without taking leave of absence from the Chairperson.

16. Power to frame, amend or repeal byelaws - Subject to the approval of the Government of India, the Governing Body shall have the power to frame, amend or

repeal any byelaws for furtherance of its objects and in particular, to provide for the following matters, namely;

- (i) Matters relating to appointment, removal, resignation and term of office of officebearers, other than the Chairperson and the Director General;
- (ii) The preparation and submission of budget estimates to the Government of India, the sanction of expenditure, entering into contracts, the investment of the funds of the Board, the sale or alteration of such investments and accounts and audit;
- (iii) Procedure for the appointment of staff to assist the Chairperson and the Director General:
- (iv) The terms and tenure of appointments, emoluments, allowances, rules of discipline and other conditions of service of the officers and staff of the Board; and
- (v) Such other matters as may be necessary for the administration of the affairs of the Board.

17. Delegation of Powers -

- (i) The Governing Body may, by resolution, delegate to the Director General or Administrative Officer of the Board and sub-committees and panels, as may be constituted from time to time, such of its powers for the conduct of the affairs of the Board as may be considered necessary.
- (ii) The Governing Body may delegate to any officer of the Board such routine or administrative or financial powers as it may consider necessary.

18. Powers functions and duties of the Director General-

- (i) Subject to any orders, rules and byelaws of the Board, the Director General as the principal Executive Officer of the Board, shall be responsible for the proper administration of the affairs of the Board under the direction and guidance of the Chairperson.
- (ii) The Director General shall prescribe duties of all officers and staff of the Board and shall exercise supervision and disciplinary control as may be necessary, subject to the orders, rules and byelaws of the Board.
- (iii) The Director General shall maintain a record of the minutes of the Board and the Governing Body and shall perform the duties otherwise directed to be performed by the Director General, the Administrative Officer and all such other duties as may, from time to time, be entrusted by the Chairperson of the Governing Body or the President of the Board.

19. Funds of the Board and Accounts - The funds of the Board shall consist of the following, namely:

(i) Grants made by or through the Government of India or any State Government;

- (ii) Grants, donations and contributions, and like other payment providers from other sources.
- (iii) Income from investments;
- (iv) Fees and charges imposed by the Board from time to time for service rendered by it to the Railways and other personnel deputed for full-time training of Education Officers and to the officers deputed by foreign organisations for training at Indian Institute of Workers Education. The scale of fees and charges may be revised after every two years; and
 - (v) Income and receipt from other sources.
- **20. Banker of the Board** The Bankers of the Board shall be the State Bank of India or any other Bank approved by the Government of India. All funds of the Board shall be paid into the Board's account and shall not be withdrawn except, through cheques signed by the Director General or by such officer as may be duly empowered in this behalf by the Chairperson and countersigned by the Chairperson or an officer authorized by the Chairperson in this behalf.
- **21. Budget of a financial year** Not later than the 15th of September of each year the Director General shall prepare a budget for the financial year which, as approved by the Governing Body, shall be submitted to the Government of India for approval.
- **22. Demands and Expenditure from grants-in-aid** -The proposals for demands and expenditure from Grants-in-aid on plan schemes shall not be included in the Budget referred to in Rule 21 without the approval of the Government of India. Supplementary estimates of the expenditure shall be submitted for the sanction of the Government of India in such form and on such date as may be directed by them.

23. Accounts and Audit-

- (i) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as may be prescribed by the Government of India.
- (ii) The accounts of the Board shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India or by any person authorized by him in this behalf and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Board to the Comptroller and Auditor General of India.
- (iii) The Comptroller and Auditor General of India and any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Board shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General has in connection with the audit of Government accounts, and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other necessary documents and papers.
- (iv) The result of the audit shall be communicated by the Auditor to the Dattopant Thengadi National Board for Workers Education and Development (Erstwhile Central

Board for Workers Education) who shall submit a copy of the Audit Report along with its observations to the Ministry of Labour and Employment. The auditor shall also forward a copy of the report to the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment.

- **24. Supplementary Grants, etc.** When it be proposed during the course of a financial year to finance any approved scheme which has not been included in the estimates for that year, the sanction of the Board shall be obtained to the method proposed for financing it, whether that be by means of supplementary grants or by reappropriation within the sanctioned estimate.
- **25. Annual Report -** An Annual Report of the proceedings of the Board and of the work undertaken during the financial year shall be submitted by it for the information of the Government of India. A draft of the report of yearly accounts of the Board shall be placed before the Board at the Annual General Meeting. Copies of the Annual Report and yearly accounts as finally passed by the Board shall be supplied to the members of the Board.
- **26. Approval of the Board** The approval of the Board shall be necessary to all schemes proposed to be financed from the funds set apart by the Government of India, from time to time.
- **27. Power of the Director General to appropriation** The funds provided in the sanctioned estimate for each scheme shall be deemed to be at the disposal of the Director General who shall have the powers to appropriate sums therefrom to meet expenditure on each such scheme upto the amount sanctioned and provided for it.
- **28. Re-appropriation of Grants-in-aid** Any re-appropriation of Grants-in-aid received from the Government of India can be done only with the prior approval of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment.
- **29.** Power of Governing Body to sanction expenditure etc. The Governing Body shall have full powers to sanction expenditure on any application for grant as per the General Financial Rules and financial delegated powers from time to time.
- **30.** The Director General shall exercise the financial powers as delegated by the Board and approved by the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment from time to time.
- **31. Contracts** All contracts shall be executed on behalf of the Board by the Director General or by any officer authorized by him.
- **32. Personal Liability** Neither the Chairperson nor the Director General nor any member of the Board shall be personally liable for any assurance or contract made but any liability arising under such assurance or contract shall be discharged from the liability at the disposal of the Board.
- **33. Seal etc.** The Board shall provide a Seal and also provide for its safe custody, and the seal shall never be used except by authority of the Board previously given and the Director General shall sign every instrument to which the seal is affixed.

- **34. Validity of proceedings** No act or proceeding of the Board or Governing Body shall be invalid by reason merely of any deficiency or any defect in the Constitution of the Board or Governing Body, as the case may be.
- **35. Liability of the Board** The Board may sue or be sued in the name of the Chairperson or the Director General. All the relevant provisions of the Societies Registration Act XXI of 1860 will also apply to the Board.
- **36. Application of the income, etc.** The income and assets of the Board, however, derived shall be applied towards the promotion of the objects thereof subject, nevertheless, in respect of the expenditure of grants made by the Central Government to such limitations as that Government may, from time to time impose.

37. Membership Roll and Service of Notice: -

- (i) The Board shall keep a roll of members of the Board and every member of the Board shall sign the roll and shall state therein his rank or occupation and address.
- (ii) If a member of the Board changes his address, he shall notify his new address to the Director General who shall thereupon enter his new address in the roll of members but if he shall fail to notify his new address, the address in the roll of members shall be deemed to be his address.
- (iii) A notice may be served upon any member of the Board either personally or through the post addressed to such member at the address mentioned in the roll of members.
- (iv) Any notice so served by post shall be deemed to have been served on the day following that on which the notice is posted.
- **38. Alteration or expansion of the purpose of the Board**:-The Board may alter, extend or abridge any purpose or purpose for which it is established, subject, however, to such proposition being agreed to by the votes of three fifths of the members of the Governing Body at a meeting duly convened for the purpose and finally approved by the Government of India.
- **39. Alteration in rules**:- These rules may be altered at any time with the prior approval of the Government of India by a resolution passed by not less than half of the total number of members of the Governing Body at any meeting of the Governing Body which shall have been duly convened for the purpose.

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एसोसिएशन का ज्ञापन)

(सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के अंतर्गत पंजीकृत)

- 1. सोसाइटी का नाम "दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड" है।
- 2. सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित होगा और वर्तमान में दूसरी मंजिल, रोजगार कार्यालय भवन, पूसा कॉम्प्लेक्स, पूसा रोड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के पास, नई दिल्ली 110012 में है। सोसाइटी का संचालन संपूर्ण भारत तक विस्तारित होगा।
- 3. दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं, अर्थात् :
- क) संगठित और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए शिक्षा और विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित और बढावा देना।
- ख) भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र की 11 और 12 जुलाई, 1957 को हुई बैठक में यथा अनुमोदित श्रमिक शिक्षा पर रिपोर्ट में निहित सिफारिशों (प्रति संलग्न) को कार्यान्वित करना।
- ग) विश्वविद्यालयों, स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण संस्थानों, दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों की तरह शैक्षणिक संस्थानों में अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित विषयों पर सूचनात्मक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना, अर्थात्ः
- (i) सामाजिक संवाद और एकजुटता अर्थव्यवस्था।
- (ii) संघ—प्रबंधन संबंध और उद्योग का ज्ञान, उत्पादकता वृद्धि, श्रमिक प्रबंधन संबंध के लिए प्रबंधन की क्षमता निर्माण।
- (iii) संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में परिसंघों, श्रमिक संघ नेताओं और श्रमिकों या कर्मचारियों या दोनों उद्योगों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
- (iv) परामर्श अनुसंधान और निगरानी
- (v) 19 और 20 मई, 1958 को नैनीताल में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के सोलहवें सत्र में यथा अनुसमर्थित अनुशासन संहिता।
- (vi) श्रमिकों का समग्र व्यक्तिगत विकास।

- घ) पूर्ण और अंशकालिक कार्य के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और कार्यक्रम प्रशासन की व्यवस्था करना।
- ड) क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यचर्या और संसाधन विकास सामग्री का प्रकाशन और वितरण,
- च) सरकारी या गैर-सरकारी निकायों या संस्थानों की ऐसी पहलों को व्यक्तिगत रूप से शुरू करना या उनके साथ सहयोग करना, जिनका उद्देश्य है:
- (i) सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी और संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना, सहायता चाहने वाले श्रमिकों को मार्गदर्शन और सहायता सेवाएं प्रदान करना और सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा लाभों, योजना—आधारित वकालत और पंजीकरण कार्यक्रमों या शिविरों का आकलन करना।
- (ii) रोजगार क्षमता बढ़ाना,वेतन या स्वरोजगार पाने का मौका और किसी व्यक्ति या लोगों के समूह की आय या आय सृजन के अवसर में वृद्धि।
- (iii) श्रमिकों को सूचना, शिक्षा और अवसरों तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवीन रणनीतियों का लाभ उठाना।
- (iv) असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की रोजगार क्षमता और आजीविका की संभावनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन बनाना और प्रबंधित करना।
- (v) वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी करके और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं, माइक्रोक्रेडिट सुविधाओं और बचत पहलों तक पहुंच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
- (vi) वहां जहां अनुभवी कार्यकर्ता कम ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करते हैं, व्यावहारिक और जीवन के अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करते हैं।
- छ) भारत में कहीं भी स्थित किसी भी भूमि, भवन, या अन्य ऐसी चल या अचल संपत्ति को खरीदना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अधिग्रहण करना, जो सोसाइटी के कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक हो।
- ज) सोसाइटी को सौंपी गई निधियों या धन को ऐसे तरीके से निवेश करना, जो समय—समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सके।
- झ) समाज के प्रयोजन के लिए भारत सरकार और अन्य वचन पत्र, विनिमय बिल, चेक, या अन्य परक्राम्य लिखतों (बातचीत पैनल) को निकालना, स्वीकार करना, बनाना, समर्थन करना, छूट देना और जमा करना।
- ञ) सोसाइटी की बैठकों और मामलों के संचालन के लिए नियम और विनियम बनाना और समय–समय पर उन्हें अपनाना।
- ट) सोसाइटी के व्यय को विनियमित करना और लेखा का प्रबंधन करना।

- ट) सोसाइटी की चल या अचल संपतियों के सभी या किसी हिस्से की बिक्री, विनिमय, पट्टे या अन्यथा निपटान, ऐसी शर्तों पर, जैसे कि भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- ड) बांड, बंधक, वचन पत्र या अन्य दायित्वों, या सोसाइटी की सभी या किसी भी संपत्ति पर आधारित या आधारित प्रतिभूतियों पर या बिना किसी प्रतिभूति के, ऐसे नियमों और शर्तों पर धन जुटाना और उधार लेना, जो निर्धारित किए जा सकते हैं। भारत सरकार, और सोसाइटी की निधि से, धन जुटाने के सभी आकिस्मिक खर्चों का भुगतान करने और उधार लिए गए किसी भी पैसे को चुकाना और मुक्त करना।
- ढ) समय—समय पर ऐसे नियम और उपनियम बनाना, जो सोसाइटी के मामलों के प्रबंधन को विनियमित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं।
- ण) अन्य सभी कार्य और चीजें करना जिन्हें सोसाइटी उपर्युक्त वस्तुओं या उनमें से किसी एक की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, अनुकूल या प्रासंगिक समझे।
- 4. यदि सोसाइटी के समापन या विघटन पर, उसके सभी ऋणों और देनदारियों के निपटान के बाद, कोई भी संपत्ति बची रहती है, तो उसका भुगतान या सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी के बीच वितरण नहीं किया जाएगा, बिल्क केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित किया जाएगा।
- 5. सोसाइटी के कार्य और प्रगति की समीक्षा करने और उसके मामलों की जांच करने और उस पर रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित तरीके से एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। ऐसी किसी भी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वे रिपोर्ट में निपटाए गए किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक समझे और ये निर्देश सोसाइटी के लिए बाध्यकारी होंगे।
- 6. दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के मामलों का प्रबंधन करने के लिए सोसाइटी के नियमों के तहत एक शासी निकाय होगा। सोसाइटी के नियमों और विनियमों की एक प्रति, जिसे शासी निकाय के तीन सदस्यों द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ, संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास दाखिल होगी।

हम कई व्यक्ति, जिनके नाम और पते यहाँ दिए गए हैं, इस मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के अंतर्गत एक सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं:

क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पता
1	श्री विरजेश उपाध्याय	हस्ता.	अध्यक्ष	दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं
				विकास बोर्ड, नई दिल्ली।
2	श्री कमल किशोर सोन	हस्ता.	संयुक्त सचिव	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई
				दिल्ली।
3	सुश्री जी मधुमिता दास	हस्ता.	संयुक्त	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई
			सचिव / वित्तीय	दिल्ली।
			सलाहकार	
4	कर्नल नीरज शर्मा	हस्ता.	महानिदेशक	दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नई दिल्ली।
5	श्री महेंद्र प्रताप सिंह	हस्ता.	अखिल भारतीय	भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.), कानपुर।
			उपाध्यक्ष	
6	श्रीमती नीता चौबे	हस्ता.	अखिल भारतीय	भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.), नागपुर।
			सचिव	
7	श्री सुकुमार दामले	हस्ता.	राष्ट्रीय सचिव	ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक), नई
	A ->			दिल्ली।
8	श्री के. सोमशेखर	हस्ता.	उपाध्यक्ष	अखिल भारतीय समिति, अखिल भारतीय
				यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी), कर्नाटक।
9	श्री अतुल सोबती	हस्ता.	 महानिदेशक	स्कोप, नई दिल्ली।
10	डॉ. उदय चंद्र सुवर्णा	हस्ता.	राष्ट्रीय अध्यक्ष	फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल
				इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एफएएसआईआई),
				बेंगलुरु
11	डॉ. प्रमोद कुमार	हस्ता.	अध्यक्ष	भारतीय लघु उद्योग परिषद (आईसीएसआई),
	सिंघानिया			कोलकाता ।
12	श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह	हस्ता.	अध्यक्ष	आईआर और एचआर समिति पीएचडी चैंबर
				ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली।
13	श्री वी.जी.रमेश कुमार	हस्ता.	उप. श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त कार्यालय, चेन्नई।
	श्री अतुल आनंद,		(मुख्यालय)	
	आईएएस के स्थान पर			
4.4	नामित		arthur arthur	
14	श्री घन श्याम ओझा	हस्ता.	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय महासचिव लघु उद्योग भारती,
	(विशेष आमंत्रित सदस्य)		महासचिव	नई दिल्ली।
	त्रपर्य)			

हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर एतद्द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

(हस्ता / –)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय श्रम सम्मेलन ने 11 और 12 जुलाई, 1957 को आयोजित अपनी बैठक में कुछ संशोधनों के साथ विशेषज्ञों की टीम की रिपोर्ट में शामिल श्रमिक शिक्षा पर निम्नलिखित सिफारिशों का समर्थन किया।

सिफारिश संख्या 1 : अर्ध—स्वायत्त प्राधिकरण वाले एक केंद्रीय बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें श्रमिक संघों, नियोक्ताओं, सरकार (श्रम और शिक्षा मंत्रालय सहित) और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हों।

इसके प्राथमिक कार्य निम्न होने चाहिए:

क. नीति निर्धारित करना

ख. कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, धन आबंटित करना, निरीक्षण करना, समन्वय करना, लेखा का ऑडिट करना आदि

- ग. शैक्षिक सामग्री के प्रावधान की व्यवस्था करना
- घ. शिक्षकों और कार्यक्रमों के लिए मानक स्थापित करना
- ड. राष्ट्रीय संघों और परिसंघों के भीतर सक्रिय शैक्षिक विकास की स्थापना को प्रोत्साहित करना और
- च. श्रमिक शिक्षा के विकास को प्रोत्साहित और बढ़ावा देना।

सिफारिश संख्या 2 : केंद्रीय बोर्ड के कहने पर या जब कोई स्थानीय मांग की जाती है, तो केंद्रीय बोर्ड की तर्ज पर राज्य और / या क्षेत्रीय बोर्डों को यथाशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए। उनके संबंधित क्षेत्रों में इन बोर्डों के कार्य केंद्रीय बोर्ड के समान होने चाहिए।

सिफारिश संख्या 3 : मौजूदा बोर्डों द्वारा औद्योगिक केंद्रों में स्थानीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड बनाए जाने चाहिए।

स्थानीय बोर्ड को स्थानीय श्रमिकों की शिक्षा गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और अनुमोदित कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए।

सिफारिश संख्या 4: कोई भी औद्योगिक श्रमिक, चाहे वह साक्षर हो या अनपढ़ हो श्रमिक संघ सदस्य हो या नहीं, और पूर्णकालिक यूनियन पदाधिकारी और कर्मचारी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पात्र होने चाहिए।

श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों का चयन स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 5: जहां श्रमिक संघ मौजूद हैं, वहां श्रमिकों की शिक्षा के लिए आवेदन ऐसे श्रमिक संघ के माध्यम से किए जा सकते हैं। श्रमिक संघों की अनुपस्थिति में, कर्मचारी सीधे अपने संबंधित बोर्डों को आवेदन कर सकते हैं।

सिफारिश संख्या 6: स्थानीय संघ स्तर पर मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक केंद्रों, रोजगार के स्थानों, या श्रमिक कॉलेज और स्कूलों में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जानी चाहिए जो निम्नलिखित में निर्देश प्रदान करने के लिए स्थापित किए जा सकते हैं:—

- क. श्रमिक संघ चेतना
- ख. श्रमिक संघों के उद्देश्य, कार्य और प्रशासन
- ग. संघ-प्रबंधन संबंधों का संचालन और उद्योग का ज्ञान और
- घ. एक परिपक्व व्यक्ति का विकास और एक नागरिक के रूप में उसकी भूमिका।

सिफारिश संख्या 7: कार्यक्रमों के लिए निर्देश निम्नानुसार प्रदान किए जाने चाहिएः

- क. एकल सत्र सम्मेलन
- ख. अंशकालिक कक्षाएं
- ग. यदि आवश्यक हो तो एक सप्ताह से तीन महीने तक या लंबी अवधि के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम, और
- घ. ऐसी अन्य विधियाँ जो वांछनीय पाई जा सकती हैं।

अनौपचारिक चर्चा, भूमिका—निभाना, क्षेत्रीय कार्य, सेमिनार, व्याख्यान, फिल्में, पत्राचार पाठ्यक्रम आदि जैसी शिक्षा की तकनीकों पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 8: पूर्ण और अंशकालिक कार्यों के लिए शिक्षकों और कार्यक्रम प्रशासकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जबिक मौजूदा सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, शिक्षक प्रशासक निर्देश की प्रारंभिक परियोजना का तुरंत उद्घाटन किया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 9 : आवश्यक भाषाओं में उपयुक्त सामग्री तैयार की जानी चाहिए जिसमें शामिल हैं :

- क. पैम्फलेट, किताबें और चार्ट
- ख. शिक्षण मैनुअल और गाइड
- ग. श्रव्य-दृश्य सहायता।

सिफारिश संख्या 10: श्रमिक शिक्षा में रुचि रखने वाले श्रमिक संस्थानों और व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा आंदोलन के सहयोग से एक अनौपचारिक श्रमिक शिक्षा संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 11: श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम को वित्त पोषित किया जाना चाहिए

- क. केंद्र और राज्य सरकार अनुदान
- ख. श्रमिक संघों से योगदान
- ग. कक्षाएँ, पुस्तकालय, शिक्षण आदि के लिए शैक्षणिक संस्थानों से सहायता
- घ. प्रशिक्षण अवधि की अवधि के लिए समय से मजदूरी का भुगतान करने लिए नियोक्ताओं का समर्थन
- ड. निधियों से अनुदान जिसमें अवैतनिक वेतन, जुर्माना, कैंटीन का मुनाफा आदि शामिल है

संसाधनों के आवंटन में, इमारतों पर पूंजीगत व्यय से जुड़े किसी भी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को प्रायोजित करने के बजाय कार्यक्रमों को शुरू करने और सेवाएं और सामग्री प्रदान करने के महत्व पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

सिफारिश संख्या 12: उन मामलों पर विचार किया जाना चाहिए जो श्रमिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक अनुकूल माहौल प्रदान कर सकते हैं:

- क. एक मजबूत श्रमिक संघ आंदोलन लाने के लिए उपाय करना
- ख. शैक्षणिक संस्थानों में श्रम प्रबंधन संबंधों में पाठ्यक्रम प्रदान करना
- ग. सार्वजनिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों और / या श्रमिक संघों के लिए एक आदर्श नियोक्ता के रूप में उदाहरण स्थापित करने की सरकार की बड़ी आवश्यकता को पूरा करना
- घ. मजदूरी नीति को प्रोत्साहित करना जो उत्पादकता बढ़ने पर मजदूरी और / या प्रोत्साहन बोनस समायोजन प्रदान करती है और
- ड. श्रमिक संघ आंदोलन को प्रभावित करने वाले सभी कानूनों को मजबूत करने और समन्वयित करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य स्तर पर कानून का अध्ययन करना।

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के नियम एवं विनियम

- 1. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
- (क) "बोर्ड" का अर्थ है "दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड",
- (ख) "अध्यक्ष" (प्रेसिडेण्ट) का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा नामित दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का अध्यक्ष होगा.
- (ग) "शासी निकाय" का अर्थ वह निकाय है जो नियम 5 के अनुसार बोर्ड की ओर से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपी जा सकती हैं।
- (घ) "अध्यक्ष" (चेयर परसन) का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा नामित दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के शासी निकाय का अध्यक्ष। शासी निकाय का अध्यक्ष बोर्ड का पदेन उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के पद की शर्तें और अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी,
- (ड.) "महानिदेशक" का अर्थ है दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा नियुक्त होगें और इसमें एक कार्यवाहक महानिदेशक शामिल होगें। बोर्ड या शासी निकाय के सचिव और प्रशासनिक अधिकारी होगें, जैसा भी मामला हो और महानिदेशक के पद की शर्तें और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- 2. बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय बोर्ड का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे स्थान या स्थानों पर स्थित है, जो समय—समय पर केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासी निकाय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- 3. **बोर्ड का गठन** बोर्ड में फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा नामित निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे. अर्थात :—
- (i) श्रम एवं रोजगार मंत्री : अध्यक्ष (प्रेसिडेण्ट),
- (ii) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : पदेन सदस्य एवं उपाध्यक्ष,
- (iii) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के शासी निकाय के अध्यक्ष (चेयर परसन): उपाध्यक्ष,
- (iv) निम्नलिखित केंद्र सरकार के प्रतिनिधि :--
- (क) अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : पदेन सदस्य,

- (ख) श्रम कल्याण महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : पदेन सदस्य,
- (ग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर के अधिकारी: पदेन सदस्य,
- (घ) वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय : पदेन सदस्य
- (ड.) संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर का अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग : पदेन सदस्य
- (च) संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर का अधिकारी, कौशल विकास मंत्रालय : पदेन सदस्य,
- (v) श्रमिक संगठन के छह प्रतिनिधि
- (vi) नियोक्ता संगठनों के छह प्रतिनिधि
- (vii) राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची से 20 प्रमुख विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र या श्रम अध्ययन या शिक्षा विभाग से प्रोफेसर के पद से नीचे के दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद्
- (viii) राज्य सरकारों के छह प्रतिनिधि, जिन्हें 2 वर्ष की अवधि के लिए बारी—बारी से नामित किया जाएगा।
- (ix) श्रमिक शिक्षा अथवा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक संघ का एक प्रतिनिधि, और
- (x) महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड- सदस्य सचिव।

4. पद की शर्ते :

- (i) बोर्ड के सदस्य उस अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए निर्धारित की गई है।
- (ii) जहां बोर्ड का कोई सदस्य अपने पद या नियुक्ति के कारण सदस्य बन जाता है, तो बोर्ड से उसकी सदस्यता उस पद या नियुक्ति को समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी।
- (iii) यदि बोर्ड के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, दिवालिया हो जाता है या किसी आपराधिक अपराध में दोषी पाया जाता है या यदि वह अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमित लिए बिना सोसाइटी की लगातार दो बैठकों में भाग लेने में विफल पाया जाता है तो वह सदस्य नहीं रहेगा।
- (iv) ऊपर उल्लिखित किसी भी कारण से बोर्ड की सदस्यता में कोई भी रिक्ति केंद्र सरकार द्वारा भरी जाएगी।

- (v) संसद सदस्य जो दत्तोपंत ठेगंड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) या इसके शासी निकाय या इसकी अन्य समितियों या स्थानीय समिति के सदस्य हैं, वे संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम, 1959 के खंड (क) में परिभाषित प्रतिपूरक भत्ते के अलावा किसी भी राशि के हकदार नहीं होंगे।
- (vi) बोर्ड का सदस्य, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के नामांकन को अधिसूचित होने तक पद पर बना रहेगा।
- (vii) बोर्ड के पास ऐसे उद्देश्यों के लिए विशिष्ट मुद्दों या मुद्दों के समूहों के लिए सिमितियों या उप—सिमितियों और विशेषज्ञों के पैनल को नियुक्त करने की शक्ति होगी और ऐसी शक्तियों के साथ जो बोर्ड उचित समझे।
- (viii) बोर्ड के सदस्य केंद्र सरकार की सहमति तक पद पर बने रहेंगे।
- (ix) वित्तीय संबंधी मामले, सेवा मामला या केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता वाला कोई भी मामला, बोर्ड के शासी निकाय द्वारा विचार करने से पहले प्रत्येक उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की एक समिति को भेजा जाएगा।
- (x) आय और संपत्ति के साथ—साथ बोर्ड के मामलों का प्रबंधन और नियंत्रण बोर्ड के शासी निकाय में निहित होगा, जिसे शासी निकाय, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड कहा जाएगा।
- 5. **बोर्ड का शासी निकाय** बोर्ड का एक शासी निकाय होगा जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्ः
- (i) शासी निकाय के अध्यक्ष (चेयर परसन) को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
- (ii) श्रम कल्याण महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सदस्य
- (iii) भारत सरकार के निम्नलिखित प्रतिनिधि, अर्थात्:
- (क) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर का अधिकारी, जो दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का कार्य देखते हैं,
- (ख) वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- (ग) कौशल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर के अधिकारी
- (घ) शिक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव या समकक्ष स्तर के अधिकारी
- (iv) श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे बोर्ड के सदस्यों में से चुने गए चार प्रतिनिधि

- (v) नियोक्ता संगठनों का प्रतिनिधितव कर रहे बोर्ड के सदस्यों में से चार व्यक्तियों को चुना जाएगा, और
- (vi) बोर्ड के सदस्यों में राज्य सरकार के दो प्रतिनिधि, और
- (vii) महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं विकास बोर्ड सदस्य सचिव।
- 6. सदस्यता अपरिवर्तित रहेगी 1860 के अधिनियम, XXI के प्रयोजन के लिए बोर्ड सोसाइटी में उस दिनांक तक गठित वे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्होंने बोर्ड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद बोर्ड के यथा उपर्युक्त निर्दिष्ट सदस्य शामिल होंगे।

7. पदावधिः

- (i) शासी निकाय का सदस्य, कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद उस पद पर बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी को अधिसूचित नहीं किया जाता है। बशर्ते कि शासी निकाय का कोई सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहने पर पद पर बना रहने से मना न कर दे।
- (ii) शासी निकाय का सदस्य केंद्र सरकार की सहमति से पद पर बना रहेगा।
- (iii) पदेन सदस्य के अलावा शासी निकाय का कोई सदस्य, यदि मर जाता है, इस्तीफा दे देता है, या अध्यक्ष (चेयर परसन) से अनुपस्थिति की अनुमति लिए बिना शासी निकाय की लगातार दो बैठकों में भाग लेने से चूक जाता है, तो वह ऐसा सदस्य नहीं रह जाएगा।

8. रिक्ति को भरनाः

शासी निकाय में कोई भी रिक्ति केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से नामांकन द्वारा भरी जाएगी। इस प्रकार नामांकित सदस्य अपने पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल के लिए शासी निकाय में काम करेगा।

9. बोर्ड की कार्य प्रणाली:

बोर्ड अपने निकाय में किसी भी रिक्ति के बावजूद और अपने किसी भी सदस्य के नामांकन में किसी भी दोष के बावजूद भी कार्य करेगा, और बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल निकाय या किसी अन्य में रिक्ति या रिक्तियों के अस्तित्व अथवा किसी सदस्य के नामांकन या नियुक्ति में दोष के कारण अमान्य नहीं होगी।

10. शासी निकाय की शक्तियाँ:

(1) शासी निकाय बोर्ड द्वारा सौंपे गए अनुसार बोर्ड के मामलों का प्रबंधन करेगा और उसके पास बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

- (2) शासी निकाय निम्नलिखित के अधीन प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के संबंध में भी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात्:
- (i) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यय पर समग्र बजटीय सीमाओं का निरीक्षण,
- (ii) कर्मचारियों की सेवा शर्तों और पद के सृजन या उन्नयन से संबंधित मामले भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होंगे और इस संबंध में समय—समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों, अर्थव्यवस्था आदेशों और अन्य आदेशों के पालन के अधीन होंगे
- (iii) वित्तीय सलाहकार या उसका प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहेगा
- (iv) एक परंपरा का पालन किया जाएगा कि जिन मामलों में वित्तीय सलाहकार असहमत हैं, मामले को निर्णय के लिए सरकार को भेजा जाएगा।
- (v) शासी निकाय के पास भारत सरकार की मंजूरी से ऐसे उपनियम बनाने की शक्ति होगी जो वे बजट अनुमानों की तैयारी और मंजूरी, व्यय की मंजूरी (अनुबंध में प्रवेश), उपयोगकर्ता शुल्क तय करने के लिए उचित समझ सकते हैं। कार्यक्रम शुल्क, बोर्ड के धन का निवेश और ऐसे निवेश की बिक्री या परिवर्तन और कोई अन्य उद्देश्य जो आवश्यक हो सकता है,
- (vi) शासी निकाय, संकल्प द्वारा, ऐसे उद्देश्य के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ ऐसी सिमिति नियुक्त कर सकता है जिसे शासी निकाय उचित समझे। शासी निकाय ऐसे व्यक्तियों को इन उप—सिमितियों में शामिल कर सकता है जैसा वह उपयुक्त समझता है और उन्हें बोर्ड की बैठकों में भाग लेने की अनुमित दे सकता है।
- (vii) शासी निकाय, संकल्प द्वारा, उप—समिति या अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकता है अपने कार्य के संचालन के लिए अपनी ऐसी शक्तियां जो वह उचित समझे, इस शर्त के अधीन कि इस खंड द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों के तहत किसी उप—समिति या अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई की अगली बैठक में पुष्टि के लिए रिपोर्ट की जाएगी।

11. वार्षिक सामान्य बैठकः

- (i) बोर्ड की वार्षिक सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अधिमानतः प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर से पहले ऐसे समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी जो अध्यक्ष (प्रेसिडेण्ट) द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और कम से कम 14 दिन पूर्व का नोटिस दिया जाएगा। बैठक के लिए सदस्य ऐसी सामान्य बैठक में शासी निकाय पिछले वर्ष के कामकाज के लिए वार्षिक रिपोर्ट और बोर्ड के वार्षिक लेखा मसौदा और आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करेगा।
- (ii) अध्यक्ष (प्रेसिडेण्ट) या चेयर परसन के पास पूर्ववर्ती उप—नियम में बताए गए तरीके से आगे असाधारण सामान्य बैठकें बुलाने की शक्ति होगी। ऐसी सभी सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को उक्त बैठकों के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

- (iii) किसी भी सामान्य बैठक में उपस्थित बोर्ड के पांच सदस्यों का कोरम होगा।
- 12. वित्त उप—समिति— एक वित्त उप—समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार करेंगे।
- (i) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार,
- (ii) दत्तोपंत ठेगंड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के मामले को देख रहे भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव अथवा नामांकित व्यक्ति जो निदेशक / उप सचिव के पद से नीचे के रैंक का न हो,
- (iii) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य लेखा नियंत्रक,
- (iv) महानिदेशक, दत्तोपंत ठेगंड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड सदस्य सचिव,

13. वित्त उप-समिति की शक्तियाँ एवं कार्यः

वित्त उप-समिति की शक्तियाँ एवं कार्य निम्न प्रकार होंगे:

- (i) बोर्ड के लेखा और बजट अनुमानों की जांच करना और शासी निकाय को सिफारिशें करना,
- (ii) प्रमुख कार्यों और खरीद के कारण नए व्यय के प्रस्तावों पर शासी निकाय को विचार करना और सिफारिशें करना, जिन्हें शासी निकाय द्वारा उन पर विचार करने से पहले राय के लिए वित्त समिति को संदर्भित किया जाएगा।
- (iii) पुनर्विनियोग विवरण और ऑडिट नोट्स की जांच करना और उस पर शासी निकाय को सिफारिशें करना,
- (iv) समय-समय पर बोर्ड की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना,
- (v) बोर्ड के मामलों को प्रभावित करने वाले प्रश्न और किसी अन्य वित्तीय मामले पर शासी निकाय को सलाह देना और सिफारिशें करना,
- (vi) क्षेत्रीय स्तर पर वित्तीय औचित्य सुनिष्टिचत करने के लिए बोर्ड में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की समीक्षा करना।

14. शासी निकाय की बैठकें:

(i) शासी निकाय की वर्ष में कम से कम चार बार बैठक होगी और शासी निकाय की किन्हीं दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ये बैठकें अध्यक्ष (चेयर परसन) द्वारा बुलाई जाएगी जो शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगें और महानिदेशक, प्रशासनिक अधिकारी अथवा बोर्ड के अन्य अधिकारी जिन्हे इस संदर्भ में यथा अधिकृत किया गया है उनके द्वारा नोटिस जारी की जाएगी। इस संबंध में बोर्ड द्वारा बैठक की तारीख, समय और स्थान दर्शाया जाएगा।

बैठक की सूचना सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या डाक से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैठक के लिए नियत की गई तिथि से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही की एक प्रति बैठक के 5 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और सदस्यों को प्रस्तुत की जाएगी।

- (ii) शासी निकाय के तीन सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर शासी निकाय की किसी भी बैठक में कोरम का गठन करेंगे, लेकिन, यदि कोई बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी जाती है, तो बाद की स्थगित बैठक में उसी एजेंडे पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) सदस्यों के बीच विभिन्न राय होने की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होगी।
- (iv) शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य के साथ—साथ बैठक के अध्यक्ष (चेयरपरसन) को एक मत डालने का अधिकार होगा और यदि शासी निकाय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले किसी भी प्रश्न पर वोटों की समानता होगी, तो बैठक की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष (चेयरपरसन) को एक निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा।
- (v) शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष (चेयरपरसन) द्वारा की जाएगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष (चेयरपरसन) द्वारा नामित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
- (vi) कोई भी कार्य, जिसे करना शासी निकाय के लिए आवश्यक हो सकता है, जैसा कि उसे बैठकों में रखा जाए, उसके सभी सदस्यों के बीच परिचालित किया जा सकता है और इस प्रकार परिचालित कोई भी प्रस्ताव अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और उनके द्वारा हस्ताक्षरित यह उतना ही प्रभावशाली और बाध्यकारी होगा जैसे कि ऐसा प्रस्ताव शासी निकाय की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्त कि बोर्ड के कम से कम छह सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार दर्ज किए हों।
- (vii) अध्यक्ष के पास किसी अन्य व्यक्ति को शासी निकाय की बैठकों या बोर्ड की सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की शक्ति होगी, लेकिन, ऐसा कोई भी आमंत्रित व्यक्ति बैठक में वोट देने का हकदार नहीं होगा।

15. उप समिति आदिः

शासी निकाय के पास ऐसे उद्देश्यों के लिए विशिष्ट समस्याओं या समस्याओं के समूहों के लिए उप—सिमति और विशेषज्ञों के पैनल नियुक्त करने की शक्ति होगी और ऐसी शक्तियों के साथ जिन्हें बोर्ड उचित समझे। यदि उप—सिमति के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दे देता है, या यदि वह अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमित लिए बिना उप—सिमति की लगातार दो बैठकों में भाग लेने में विफल पाया जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

- 16. उपविधि बनाने, संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन, शासी निकाय को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए किसी भी उपविधि को बनाने, संशोधित या निरस्त करने की शक्ति होगी, अर्थात्:
- (i) अध्यक्ष और महानिदेशक के अलावा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति, निष्कासन, त्यागपत्र और पदाधिकारी के कार्यकाल से संबंधित मामले,
- (ii) भारत सरकार को बजट अनुमान तैयार करना और प्रस्तुत करना, व्यय की मंजूरी, अनुबंधों में प्रवेश करना, बोर्ड के धन का निवेश, ऐसे निवेशों और खातों की बिक्री या परिवर्तन और लेखापरीक्षा.
- (iii) अध्यक्ष और महानिदेशक की सहायता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया,
- (iv) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों के नियम और कार्यकाल, परिलिध्ययाँ, भत्ते, अनुशासन के नियम और सेवा की अन्य शर्तें और
- (v) ऐसे अन्य मामले जो बोर्ड के मामलों के प्रशासन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

17. शक्तियों का प्रत्यायोजनः

- (i) शासी निकाय, संकल्प द्वारा, बोर्ड के महानिदेशक या प्रशासनिक अधिकारी और समय—समय पर गठित उप—समितियों और पैनलों को, मामलों के संचालन के लिए जैसा आवश्यक समझा जाता है, अपनी ऐसी शक्तियां सौंप सकता है।
- (ii) शासी निकाय बोर्ड के किसी भी अधिकारी को जैसा वह आवश्यक समझे ऐसी नियमित या प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियाँ सौंप सकता है।

18. महानिदेशक की शक्तियाँ, कार्य एवं कर्तव्यः

- (i) बोर्ड के किसी भी आदेश, नियमों और उपनियमों के अधीन बोर्ड के महानिदेशक प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं। अध्यक्ष के निर्देशन और मार्गदर्शन के तहत बोर्ड के मामलों के उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (ii) बोर्ड के महानिदेशक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों को निर्धारित कर सकेंगे और बोर्ड के आदेशों, और उपनियमों के अधीन, आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण रखेंगे।
- (iii) महानिदेशक बोर्ड और शासी निकाय के कार्यवृत्त का रिकॉर्ड बनाए रखेगें और महानिदेशक, प्रशासनिक अधिकारी और ऐसे सभी अन्य कर्तव्यों को शासी निकाय के अध्यक्ष अथवा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा समय—समय पर सौपें गये अन्य कर्तव्यों को निष्पादित करेगें।

- 19. बोर्ड की निधि और लेखा बोर्ड की निधि में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्ः
- (i) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसके माध्यम से दिए गए अनुदान
- (ii) अनुदान, दान और अशंदान, अन्य स्रोतों से अन्य भुगतान प्रदाता
- (iii) निवेश से आय
- (iv) रेलवे को प्रदान की गई सेवा, समय—समय पर बोर्ड द्वारा लगाए गये शुल्क एवं प्रभार और शिक्षा अधिकारियों तथा भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षण के लिए विदेशी संगठनों द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों के लिए प्रत्येक दो वर्ष के बाद संशोधित किया जा सकता है।
- (v) अन्य स्रोतों से आय और प्राप्ति
- 20. बोर्ड के बैंकर बोर्ड के बैंकर भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कोई अन्य बैंक होंगे। बोर्ड की सभी निधियों का भुगतान बोर्ड के खाते में किया जाएगा और इसे महानिदेशक या ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चेक के अलावा, जिसे अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकार दिया गया हो और अध्यक्ष या अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो, के अलावा वापस नहीं लिया जाएगा।
- 21. वित्तीय वर्ष का बजट— प्रत्येक वर्ष के 15 सितंबर से पहले महानिदेशक वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट तैयार करेंगे, जिसे शासी निकाय द्वारा अनुमोदित होने पर भारत सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
- 22. सहायता अनुदान से मांगें एवं व्यय— योजनागत योजनाओं पर सहायता अनुदान से मांगों एवं व्यय के प्रस्तावों को भारत सरकार की स्वीकृति के बिना नियम 21 में निर्दिष्ट बजट में शामिल नहीं किया जायेगा। व्यय का अनुपूरक अनुमान भारत सरकार की मंजूरी के लिए ऐसे प्रारूप में और ऐसी तारीख पर प्रस्तुत किया जाएगा जैसा उनके द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

23. लेखा और लेखापरीक्षा-

- (i) बोर्ड उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखेगा और भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तुलनपत्र सहित लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।
- (ii) बोर्ड के लेखा का वार्षिक ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और ऐसे ऑडिट के संबंध में किया गया कोई भी व्यय बोर्ड द्वारा भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को देय होगा।
- (iii) बोर्ड के लेखा के ऑडिट के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के पास ऐसे ऑडिट के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास हैं। सरकारी लेखा के ऑडिट के साथ,

- और विशेष रूप से पुस्तकों, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों और कागजात के प्रस्तुतीकरण की मांग करने का अधिकार होगा।
- (iv) ऑडिट के परिणाम को ऑडिटर द्वारा दत्तोपंत ठेगंड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (भूतपूर्व केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड) को सूचित किया जाएगा जो अपनी टिप्पणियों के साथ ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे। ऑडिटर रिपोर्ट की एक प्रति भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भी भेजेगा।
- 24. अनुपूरक अनुदान, आदि— जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अनुमोदित योजना को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिसे उस वर्ष के अनुमानों में शामिल नहीं किया गया है, तो इसके वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित विधि के लिए बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की जाएगी, चाहे वह अनुपूरक अनुदान के माध्यम से हो या स्वीकृत अनुमान के भीतर पुनर्विनियोजन के माध्यम से हो।
- 25. वार्षिक रिपोर्ट— बोर्ड की कार्यवाही और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार की जानकारी के लिए प्रस्तुत की जाएगी। बोर्ड के वार्षिक खातों की रिपोर्ट का एक मसौदा वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से पारित वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा की प्रतियां बोर्ड के सदस्यों को प्रदान की जाएंगी।
- 26. बोर्ड की मंजूरी— भारत सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित धनराशि से वित्तपोषित की जाने वाली प्रस्तावित सभी योजनाओं के लिए बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी।
- 27. विनियोजन के लिए महानिदेशक की शक्ति— प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृत अनुमान में प्रदान की गई धनराशि को महानिदेशक के निपटान के लिए माना जाएगा,जो प्रत्येक ऐसी योजना पर राशि स्वीकृत होने एवं इसके लिए उपलब्ध कराने तक व्यय को पूरा करने के लिए उस संदर्भ में उपयुक्त राशि हेतु महानिदेशक को अधिकार होगा।
- 28 अनुदान का पुनर्विनियोजन— भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का कोई भी पुनर्विनियोजन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पूर्वानुमित से ही किया जा सकता है।
- 29. शासी निकाय की व्यय आदि स्वीकृत करने की शक्ति— शासी निकाय के पास सामान्य वित्तीय नियमों और समय—समय पर प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के अनुसार अनुदान के लिए किसी भी आवेदन पर व्यय स्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा।
- 30. बोर्ड एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एवं समय—समय पर सौंपी गई वित्तीय शक्तियों का महानिदेशक प्रयोग करेंगे।
- 31. अनुबंध— सभी अनुबंध बोर्ड की ओर से महानिदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

- 32. व्यक्तिगत दायित्व— न तो अध्यक्ष, न ही महानिदेशक और न ही बोर्ड का कोई भी सदस्य किसी भी आश्वासन या अनुबंध के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, लेकिन ऐसे आश्वासन या अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व को बोर्ड के निपटान में दायित्व से मुक्त किया जाएगा।
- 33. सील आदि— बोर्ड एक सील प्रदान करेगा और उसकी सुरक्षित अभिरक्षा भी प्रदान करेगा, और सील का उपयोग पहले दिए गए बोर्ड के अधिकार के अलावा कभी नहीं किया जाएगा और महानिदेशक प्रत्येक कागजात पर हस्ताक्षर करेगें जहां पर सील लगाई गई है।
- **34.** कार्यवाही की वैधता बोर्ड या शासी निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही, जैसा भी मामला हो, बोर्ड या शासी निकाय के संविधान में किसी कमी या किसी दोष के कारण अमान्य नहीं होगी।
- 35. बोर्ड का दायित्व— अध्यक्ष (चेयर परसन) या महानिदेशक के नाम पर बोर्ड मुकदमा कर सकता है या मुकदमा दायर किया जा सकता है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के अंतर्गत सभी प्रासंगिक प्रावधान बोर्ड पर भी लागू होंगे।
- 36. आय आदि का अनुप्रयोग— बोर्ड की आय और संपत्ति, हालांकि, प्राप्त की गई वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी, फिर भी, ऐसी सीमाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान के व्यय के संबंध में जैसा कि सरकार समय—समय पर लागू कर सकती है।
- 37. सदस्यता सूची और नोटिस की सेवा:— (1) बोर्ड, बोर्ड के सदस्यों की एक सूची रखेगा और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य सूची पर हस्ताक्षर करेगें और उसमें अपने पद या व्यवसाय और पते का उल्लेख करेगें।
- (2) यदि बोर्ड का कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह महानिदेशक को अपना नया पता सूचित करेगा, जो उसके बाद सदस्यों की सूची में अपना नया पता दर्ज करेगा, लेकिन यदि वह अपना नया पता सूचित करने में विफल पाया जाता है, तो सदस्यता सूची में दर्ज पता उसका पता समझा जाएगा।
- (3) बोर्ड के किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से या सदस्यों की सूची में उल्लिखित पते पर ऐसे सदस्य को डाक के माध्यम से नोटिस भेजी जा सकती है।
- (4) डाक द्वारा भेजी गयी कोई भी नोटिस पोस्ट होने के दिन भेजी गयी मानी जाएगी।
- 38. बोर्ड के उद्देश्य में परिवर्तन या विस्तार:— बोर्ड किसी भी उद्देश्य या जिस उद्श्य के लिए स्थापित किया गया है उसे बदल सकता है, बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, हालांकि, इस तरह के प्रस्ताव पर विधिवत बुलाई गई बैठक में शासी निकाय सदस्यों के तीन—पांचवें वोट से सहमित होने और भारत सरकार द्वारा अंततः अनुमोदित करने पर किया जा सकता है।

39. नियमों में परिवर्तनः— इन नियमों को किसी भी समय भारत सरकार की पूर्व अनुमित से इस उद्देश्य के लिए विधिवत बुलाई गई शासी निकाय की किसी भी बैठक में शासी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा पारित संकल्प द्वारा बदला जा सकता है।

 दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड का मूल रुप से लिखित मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो नियमानुसार अंग्रेजी में लिखित मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन एण्ड रूल्स एण्ड रेगुलेशन्स मान्य होगा।



दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय) पूसा रोड, नई दिल्ली - 110012

DATTOPANT THENGADI NATIONAL BOARD FOR WORKERS EDUCATION & DEVELOPMENT

(An Autonomous Organisation under Ministry of Labour & Employment, Government of India) PUSA ROAD, NEW DELHI - 110012